



श्री अनंद मोहन
प्रधानमंत्री



लाडो अभियान बाल विवाह न रहें, अपराध से बचें



श्री अनंद मोहन
मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश



बाल विवाह



FIR



जेल/जुर्माना

बाल विवाह: अपराध है

बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों तथा 21 वर्ष से कम उम्र में लड़कों का विवाह करना कानूनन अपराध है।

बाल विवाह में शामिल सभी व्यक्ति एवं सेवाप्रदाता अपराधी है। ऐसे विवाह में शामिल होने वाले सभी नाते-रिश्तेदार, मित्र एवं सेवाप्रदाता जैसे धर्मगुरु, मौरल गार्डन, टेंट हाउस, बैड-बाजा, सैलून, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि से सम्बन्धित सभी व्यक्ति/संस्था भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं।

टण्ड-कठोर कारावास/ जुर्माना / या दोनों बाल विवाह करने और करवाने वाले दोषियों को दो वर्ष तक का कठोर कारावास या एक लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006

बाल विवाह कानूनी अपराध है

आप बाल विवाह होता पायें तो इसकी सूचना जिला कलेक्टर, स्थानीय पुलिस या महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को तत्काल दें।
सूचनादाता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।



संचालनालय महिला सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश